भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 3025 #

गुरूवार, 13 अगस्त, 2026/22 श्रावण, 1948 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

भारत को एक वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना

3025 # श्री महेंद्र भट्टः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विदेशों में प्रचार-प्रसार एवं डिजिटल अभियानों के माध्यम से भारत को एक वैश्विक पर्यटन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने तथा निवेश को आकर्षित करने के लिए तैयार की गई नई कार्यनीति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): पर्यटन मंत्रालय वैश्विक पर्यटन बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रचार पहलों के माध्यम से पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने हेतु देश भर में पर्यटन स्थलों का संवर्धन करता है। ये पहल भारतीय मिशनों, राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों और उद्योग के हितधारकों के सहयोग से की जाती हैं और इसमें अंतर्राष्ट्रीय यात्रा मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी, रोड शो और परिचयात्मक (एफएएम) यात्राओं का आयोजन, पर्यटन कार्यक्रमों के लिए सहायता और उनका आयोजन, खाद्य उत्सव, आउटडोर प्रचार आदि शामिल हैं।

मंत्रालय अतुल्य भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म (आईआईडीपी) के माध्यम से भारत के विविध पर्यटन स्थलों का संवर्धन करता है और पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाता है, जो सांस्कृतिक, विरासत, साहसिक, आरोग्य, पाक-कला, कला एवं शिल्प और ग्रामीण पर्यटन के विषय में आभासी अनुभव प्रदान करता है। यह भारत के पर्यटन स्थलों की वैश्विक दृश्यता बढ़ाने के लिए अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ट्रैवल इंफ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स, यूट्यूबरों और फोटोग्राफरों के साथ समन्वय के माध्यम से नियमित प्रचार-प्रसार भी करता है।

सरकार ने पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में निवेश को सुविधाजनक बनाने और आकर्षित करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जो निम्नानुसार हैं:

i. निम्नलिखित को सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची के तहत अवसंरचना का दर्जा प्रदान किया गया है:

- 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों के बाहर स्थित तीन सितारा या उच्च श्रेणी के वर्गीकृत होटल;
- रोपवे और केबल कार
- न्यूनतम निर्मित फर्श क्षेत्र - 100,000 वर्ग मीटर वाले प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र, विशेष रूप से प्रदर्शनी स्थल या सम्मेलन स्थल या सम्मिलित रूप से दोनों के लिए।

ii. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई): होटल, रिसॉर्ट और मनोरंजन सुविधाओं सहित पर्यटन संबंधी निर्माण वाली परियोजनाओं में लागू शर्तों के अध्यधीन स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति है।

iii. राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस): वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा कार्यान्वित एनएसडब्ल्यूएस, संबंधित अधिकारियों से विभिन्न अनुमोदन, लाइसेंस और परमिट प्राप्त करने के लिए एक एकल मंच प्रदान करके व्यापार करने में सुगमता प्रदान करता है।

iv. उद्योग का दर्जा: अधिकांश राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने निवेश को सुविधाजनक बनाने और आकर्षित करने के लिए पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है।
